जल संसाधन से छुड़वाया गौरी सरोवर में साफ पानी

नवभारत न्यूज

भिण्ड, 9 सितम्बर। शहर के ऐतिहासिक गौरी सरोवर में हाल ही में मछलियों के मरने की खबर ने स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ा दी थी। मछलियों की मौत का मुख्य कारण

मछलियों की मौत पर विधायक कुशवाह का एक्शन

सरोवर में गंदा पानी आना बताया गया। जैसे ही इस घटना की जानकारी भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को मिली, उन्होंने तुरंत जल संसाधन विभाग को सूचित कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

तुरंत छोड़ा गया ताजा पानी, खतरा टला : सूत्रों के अनुसार, सरोवर में गंदा पानी आने से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिससे बड़ी संख्या में मछलियां मर गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विधायक कुशवाहा ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से तुरंत बात कर गौरी सरोवर में ताजा पानी छोड़े जाने के निर्देश दिए। विधायक के प्रयासों से कम समय में ही सरोवर में पर्याप्त मात्रा में ताजा पानी छोड़ा गया, जिससे आगे होने वाली नुकसान की आशंका काफी हद तक टल गई।

विधायक बोले- गौरी सरोवर का संरक्षण हमारी प्राथमिकता : इस मौके पर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि गौरी सरोवर शहर की पहचान और ऐतिहासिक धरोहर है। इसके संरक्षण और स्वच्छता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। मछलियों की मौत की सूचना मिलते ही मैंने तुरंत विभागीय अधिकारियों से बात कर पानी छोड़ने की व्यवस्था कराई है। भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए स्थायी समाधान निकाला जाएगा।

स्थानीय लोगों ने जताया आभार

विधायक की इस त्वरित कार्रवाई से लोगों में राहत का माहौल है। स्थानीय निवासी संजय शर्मा ने कहा कि जैसे ही विधायक को खबर मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई कर पानी छोड़वाया। वरना सरोवर की पूरी जैविक श्रृंखला प्रभावित हो जाती।

सफाई और निगरानी की तैयारी

जल संसाधन विभाग ने बताया कि सरोवर में गंदा पानी आने के कारणों की जांच की जा रही है। साथ ही, नियमित सफाई और निगरानी के लिए योजना बनाई जा रही है। आने वाले दिनों में सरोवर की पारिस्थितिकी को संतुलित रखने के लिए अतिरिक्त उपाय भी किए जाएंगे।

भिंड में बालक सार्थक का दत्तक ग्रहण

नवभारत न्यूज

भिण्ड, 9 सितम्बर। जिले में एक महत्वपूर्ण दत्तक ग्रहण प्रक्रिया मंगलवार को संपन्न हुई। अपर जिला मजिस्ट्रेट एलके पाण्डेय की उपस्थिति में लावारिस अवस्था में मिले बालक सार्थक को विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर भावी दत्तक माता-

अब नया नाम 'शिवांश' वैधानिक प्रक्रिया से हुआ परिवार पूर्ण

पिता को सौंप दिया गया। अब बालक का नया नाम शिवांश रखा गया है।

जानकारी के अनुसार, 12 नवंबर 2024 को यह बालक लावारिस अवस्था में मिला था। जिला बाल संरक्षण इकाई ने बालक को संरक्षण में लेकर बाल कल्याण समिति भिंड के माध्यम से विशेषज्ञ दत्तक एजेंसी लहार में प्रवेश दिलाया और उसे सार्थक नाम दिया गया। बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना ने बताया कि परिजनों की तलाश के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए गए। बालक के संबंध में विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित कर एक माह का प्रतीक्षा समय दिया गया। लेकिन कोई भी जैविक अभिभावक सामने नहीं आया। इसके बाद भारत सरकार की दत्तक ग्रहण गाइडलाइन के अनुसार बालक को विधिक रूप से लीगल फ्री घोषित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन तिवारी ने बताया कि इसके उपरांत कारा पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता ने बालक को रिजर्व किया। संभावित माता-पिता कृषि कार्य से जुड़े हुए और भू-स्वामी हैं, साथ ही स्वयं का व्यवसाय भी करते हैं। इसके बाद जिला स्तरीय दत्तक ग्रहण समिति ने 11 जुलाई 2025 को प्री-अडॉप्शन प्रक्रिया पूरी की। 9 सितंबर को अपर जिला मजिस्ट्रेट एल.के. पाण्डेय की अध्यक्षता में साक्षात्कार हुआ।

13 को होगी नेशनल लोक अदालत, प्रकरण निपटाने के दिए निर्देश

नवभारत न्यूज

भिण्ड, 9 सितम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार 13 सितंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला न्यायालय भिंड के एडीआर सेंटर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के.एस. बारिया की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, अधिवक्ता संघ भिंड के अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, पैनल लॉयर्स एवं एलएडीसीएस के अधिवक्ताओं

ने भाग लिया। इस दौरान नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए रणनीति बनाई गई। उपस्थित अधिवक्ताओं को यह भी निर्देश दिए गए कि वे पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों से अवगत कराएं ताकि अधिक संख्या में मामलों का निपटारा हो सके। बारिया ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को लंबी अदालती प्रक्रिया से राहत, समय और धन की बचत, एवं सुलह-समझौते के जरिए विवाद का समाधान मिल सकता है। उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे अपने मुवक्किलों को नेशनल लोक अदालत के लिए प्रेरित करें।

इसी क्रम में तहसील न्यायालय मेहगांव में भी अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी न्यायाधीशगण और अधिवक्ता संघ मेहगांव के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान लोक अदालत की तैयारी की समीक्षा की गई और अधिकतम प्रकरणों को निपटाने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बारिया ने उपजेल मेहगांव का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ताकि कैदियों को विधिक सहायता के संबंध में सभी सुविधाएं मिल सकें। नेशनल लोक अदालत 13 सितंबर को आयोजित होगी, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा।

केंद्रीय विद्यालय में पॉक्सो एक्ट और साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला

नवभारत न्यूज

भिण्ड, 9 सितम्बर। मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार मिशन शक्ति के तहत 10 दिवसीय गतिविधियों का आयोजन किया

बच्चों को बताए गए सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श, हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के तरीके

जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन और जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन तिवारी के निर्देशन में केंद्रीय विद्यालय भिंड में एक प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला में पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श की पहचान करना सिखाया गया। साथ ही, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर और जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उपस्थित बच्चों को पॉक्सो ई-बॉक्स, बाल कल्याण समिति और विभिन्न सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताया गया।

बच्चों को दी गई महत्वपूर्ण सीख : अधिकारियों ने बच्चों को समझाया कि किसी भी प्रकार की घटना में डरना नहीं चाहिए और किसी भी परिस्थिति में लालच में नहीं आना चाहिए। आमतौर पर घटनाओं में डर या लालच का फायदा उठाया जाता है, इसलिए जागरूक रहना जरूरी है।

साइबर सुरक्षा पर बच्चों के सवाल और समाधान : कार्यशाला के दौरान बच्चों ने सवाल पूछा कि फ्रॉड लिंक क्या होती है और इससे कैसे बचें? इस पर बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना ने जवाब देते हुए कहा कि कोई भी लिंक जो अनधिकृत स्रोत से आती है और इनाम, योजना या गिफ्ट के नाम पर क्लिक करने को कहती है, वह फ्रॉड लिंक होती है। ऐसी किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। कार्यक्रम में प्राचार्य अजय कुमार सक्सेना, लेखापाल आनंद मिश्रा सहित विद्यालय स्टाफ, छात्र-छात्राएं और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

बेटियों की शिक्षा में सहायक साबित होगी साइकिल

सीहोर 9 सितंबर. पीएमश्री शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई स्कूल में निशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में विधायक सुदेश राय एवं नपाध्यक्ष प्रिंस राठौर ने सभी पात्र छात्राओं को निशुल्क साइकिलों का वितरण किया. इस अवसर पर विधायक सुदेश राय एवं नपाध्यक्ष प्रिंस राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश में विकास और कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं. शिक्षा के क्षेत्र में निशुल्क साइकिल वितरण योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना के तहत साइकिल मिल जाने से छात्राओं को स्कूल आने और जाने में आसानी हो गई है और उन्हें अब स्कूल आने-जाने के लिए किसी पर निर्भर नही रहना पड़ेगा. यह योजना हमारे गांव की बेटियों के सपनों को पूरा करने में मददगार तो साबित हो ही रही है, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने और देश को विकास की राह पर ले जाने में भी सहायक बन रही है. जब हमारे गांव की बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगी तो निश्चित ही देश भी तरक्की करेगा. उन्होंने छात्राओं को नई साइकिल मिलने पर उन्हें बधाई भी दीं.

लहार में खाद वितरण व्यवस्था मजबूत, निरीक्षण में गोदाम की व्यवस्थाएं बेहतर

नवभारत न्यूज

भिण्ड, 9 सितम्बर। लहार क्षेत्र में खाद की आपूर्ति और वितरण को लेकर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। एसडीएम लहार विजय सिंह यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि सोमवार और मंगलवार को मार्कफेड वृहत्ताकार संस्था पर कुल 500 किसानों के टोकन काटे गए थे, जिनके विरुद्ध उतने ही किसानों को यूरिया खाद का वितरण किया गया।

डबल लॉक गोदाम का औचक निरीक्षण : एसडीएम विजय यादव के निर्देशन में तहसीलदार दीपक शुक्ला एवं कृषि अधिकारी ए.के. शाक्य ने डबल लॉक खाद

गोदाम लहार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शासन द्वारा भेजी गई नई खाद की रैक से एनपीके 1200 बोरी, डीएपी 1200 बोरी और एसपी 600 बोरी ट्रकों से उतरकर गोदाम में सुरक्षित रखी जा रही थी। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि डबल लॉक गोदाम की सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक और व्यवस्थित हैं।

बुधवार और गुरुवार को फिर मिलेगा खाद : एसडीएम विजय यादव ने बताया कि बुधवार और गुरुवार को मार्केटिंग सोसायटी लहार एवं दबोह गोदाम विपणन संघ पर सुबह 9 बजे से टोकन दिए जाएंगे। जिन किसानों को टोकन मिलेंगे, वे सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक डीएपी और एपीएस खाद प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निरंतर खाद की आपूर्ति कराई जा रही है। मंगलवार को ही 80 एमटी डीएपी, 90 एमटी एपीएस और 30 एमटी एसएसपी खाद की नई रैक प्राप्त हुई है।

खरीफ फसल में खाद की आवश्यकता कम : कृषि अधिकारी एके शाक्य ने बताया कि लहार अनुभाग में खरीफ फसल का रकबा कम है। मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा और धान जैसी फसलों की बुवाई पहले ही हो चुकी है और खाद भी डाली जा चुकी है।

उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि खाद की कोई कमी नहीं है और रवि फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त समय है।

किसानों से धैर्य और अनुशासन की अपील

एसडीएम विजय यादव ने कहा कि शासन किसानों के हित में लगातार कार्य कर रहा है। सभी किसान धैर्य और अनुशासन बनाए रखें तथा प्रशासन का सहयोग करें। प्रत्येक किसान को आवश्यक मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाएगी।

शहीदों की आत्मा की शांति के लिए होगा श्रीमद भागवत का आयोजन

नवभारत न्यूज

भिण्ड, 9 सितम्बर। पितृपक्ष की पावन बेला में जब संपूर्ण भारत अपने पितरों का स्मरण कर रहा है, उसी दौरान वृंदावन की पवित्र धरा पर एक अद्वितीय और भावनात्मक

15 से 21 सितंबर तक केशव धाम में चलेगा दिव्य आयोजन, कथा वाचक होंगी साध्वी सरस्वती दीदी

आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्र रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त शहीदों एवं पहलगाम आतंकी हमले में बलिदान हुए भारतीय नागरिकों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम से श्रीमद्भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह दिव्य कथा 15 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक केशव धाम, केशव नगर, वृंदावन (उत्तर प्रदेश) में संपन्न होगी।

कथा की विशेषताएँ और उद्देश्य : इस महाआयोजन में कथा वाचन का पुण्य कार्य परम पूज्या हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती दीदी करेंगी। यह आयोजन मध्य प्रदेश शासन में नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के संरक्षण में संपन्न होगा। कथा का मुख्य उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उत्थान ही नहीं, बल्कि उन शहीद आत्माओं को मोक्ष प्रदान करना है जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। यह आयोजन राष्ट्रभक्ति, धर्म, श्रद्धा और संस्कृति का अद्भुत संगम होगा।

संस्कार और संस्कृति का संरक्षण : मंत्री राकेश शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि आयोजन में केवल हिंदी भाषा की शुद्धता और गरिमा का पालन होगा। किसी भी विदेशी या अपसंस्कृति शब्द का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। कथा का वातावरण पूर्णतः संस्कारी, शास्त्रीय और सनातन परंपरा के अनुरूप होगा।

राष्ट्रप्रेम और सनातन संदेश

ऑपरेशन सिंदूर के नाम से आयोजित इस कथा का संदेश स्पष्ट है— भारत केवल तलवारों से नहीं, बल्कि संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मूल्यों से सुरक्षित होता है। इस कथा के माध्यम से समाज को यह प्रेरणा दी जाएगी कि राष्ट्रप्रेम और धर्मनिष्ठा ही भारत की असली शक्ति है। आयोजन समिति ने सभी राष्ट्रभक्तों, धर्मप्रेमियों और श्रद्धालुजनों से अपील की है कि वे सपरिवार इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित होकर शहीदों को मोक्ष, समाज को संस्कार और आत्मा को अमृत प्रदान करने का पुण्य अर्जित करें।

डिजिटल युग में सही ज्ञान का चयन जरूरी : पाठक

नवभारत न्यूज

भिण्ड, 9 सितम्बर। इंटरनेट की दुनिया में क्या पठनीय है और क्या इग्नोर करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस भेद का ज्ञान गुरु ही करा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। यह विचार संस्कार भारती परिषद के प्रांतीय गतिविधि संयोजक संस्कार श्रवण कुमार पाठक ने मॉडल हाई

छात्रों को हर विषय पर फिल्टर लगाकर काम करना चाहिए

सेकेंडरी स्कूल में आयोजित शाखा जागृति के गुरुदेव छात्र आवेदन कार्यक्रम में व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि डिजिटल वातावरण में छात्रों को हर विषय पर फिल्टर लगाकर कार्य करना चाहिए। इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री में सही और गलत का फर्क समझना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस चयन की क्षमता गुरु के मार्गदर्शन में ही विकसित हो सकती है।

छात्र जीवन में समय का महत्व : इस अवसर पर संस्कार टोली सदस्य सुषमा जैन ने कहा कि छात्रों के जीवन में समय का सही प्रबंधन सफलता की कुंजी है। उन्होंने बताया कि हर बच्चे को अपनी पढ़ाई और दिनचर्या को समय सारणी के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए, जिससे वे जीवन में लक्ष्य प्राप्ति की ओर तेजी से बढ़ सकें।

अध्ययन के साथ आध्यात्मिकता पर जोर : शाखा संरक्षक एवं प्रांतीय संयोजक डॉ. उमा शर्मा ने गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर की व्याख्या करते हुए छात्रों को शिक्षा के साथ आध्यात्मिक चिंतन को भी अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि गुरु के प्रति श्रद्धा और संस्कारों की समझ, जीवन में सच्ची सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है।

कार्यक्रम का संचालन एवं विशेष उपस्थिति : कार्यक्रम का संचालन शाखा अध्यक्ष गगन शर्मा ने किया। मंच पर उषा नगरिया, ओम नारायण ओझा और कैलाश नगरिया भी उपस्थित रहे। विद्यालय प्रबंधन की ओर से शाखा के सभी सदस्यों को नक्षत्र अनुसार पौधे भेंट किए गए, जो पर्यावरण संरक्षण और भारतीय परंपरा का प्रतीक है।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती ब्रजलता पत्नी स्व. श्री रामबाबू, राजकुमार एवं मिलन कुमार पुत्रगण स्व. श्री रामबाबू के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका प्लाट क्र. 38 एवं 39 का भाग, वार्ड क्र. 17, पटवारी हल्का क्र. 34, ग्राम छीमका व तहसील गोहद जिला भिंड के सर्वे क्र. 777/2, जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- प्लाट क्र. 37, पश्चिम में- प्लाट क्र. 39, उत्तर में- रास्ता 20 फ्रीट, दक्षिण में- जगह दीगरन की होकर कुल क्षेत्रफल 1087.6 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में मलखान सिंह पुत्रगण श्री मिलाप सिंह भदौरिया के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी। तत्पश्चात उक्त संपत्ति के अंश भाग में से मलखान सिंह पुत्रगण श्री मिलाप सिंह भदौरिया द्वारा रामबाबू मिश्रा पुत्र श्री रामेश्वर मिश्रा को विक्रय-पत्र विलेख पंजीकृत दस्तावेज सरल क्र.1330 एवं ग्रंथ क्र. 3775 एवं दिनांक 08.09.2014 से विक्रय की गई, फिर रामबाबू मिश्रा के मरणोपरांत, श्रीमती ब्रजलता (पत्नी), राजकुमार व मिलनकुमार (पुत्रगण) का नाम उनके वैध कानूनी वारिसान के रूप में राजस्व विभाग के दस्तावेजों मे अंकित हुआ जिसका उल्लेख राजस्व विभाग में विधिवत दर्ज है। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। दिनांक 08.09.2025

प्रेषक-**विशाल अग्रवाल** (एडवोकेट)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट" ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

कलेक्टर श्रीवास्तव ने सुनी 80 से अधिक आवेदकों की समस्याएं

नवभारत न्यूज

भिण्ड, 9 सितम्बर। जिले के विभिन्न अंचलों से आए लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने 80 से अधिक आवेदकों की समस्याएं सुनीं और उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।

जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग गंभीर बीमारी से उपचार के लिए आर्थिक सहायता, बिजली बिलों में सुधार, पेंशन संबंधी लंबित प्रकरणों, हैंडपंपों की मरम्मत, सड़क दुर्घटना सहायता, बीपीएल राशन कार्ड और भूमि विवाद जैसे मामलों को लेकर पहुंचे थे। कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से सुना और कहा कि समस्याओं

के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवेदकों को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से राहत मिले और उन्हें कार्यवाही की जानकारी भी समय पर दी जाए।

कलेक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य लोगों को राहत पहुंचाना और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि किसी आवेदन पर कार्रवाई में ढिलाई पाई गई तो जिम्मेदार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर के साथ सीईओ जिला पंचायत सुनील दुबे, अपर कलेक्टर एल.के. पाण्डेय और डिप्टी कलेक्टर विकास केमोर भी मौजूद रहे। इन अधिकारियों ने भी कई मामलों में मौके पर ही आवेदकों की समस्याओं का निपटारा कराया। कलेक्ट्रेट में हुई इस जनसुनवाई में कई गंभीर मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने विशेष रूप से बिजली बिलों में सुधार, पेंशन और पानी की समस्या के निराकरण को शीर्ष प्राथमिकता देने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही जनसुनवाई का मूल उद्देश्य है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए समय पर आवेदन करें और किसी भी समस्या के समाधान में पारदर्शिता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।